इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 560] भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2022—आश्विन 20, शक 1944

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2022

सूचना

क्रमांक आर नं. 897893/2022/22/पं.–2, मध्यप्रदेश ग्राम सभा अनिवार्य कर (शर्तें तथा अपवाद) नियम, 2001 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 77–क के साथ पठित धारा 95 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप–धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार व्दारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, –

1. नियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"5 क. व्यावसायिक भूमि तथा भवन पर कर.–

(1) ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रों के भीतर व्यावसायिक प्रयोजन के लिए निर्मित संपत्तियों तथा व्यावसायिक रूप से उपयोग की जाने वाली संपत्तियों पर, प्रथम अनुसूची के भाग–ख में विहित दरों पर कर अधिरोपित कर सकेगी।

(2) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) के अधीन विहित दरें निम्नलिखित क्षेत्रों में अवस्थित व्यवसायिक संपत्तियों पर लागू होंगी–

(क) नगर निगम क्षेत्र से 10 किलोमीटर के भीतर अवस्थित पंचायतों में,

(ख) नगर पालिका क्षेत्र से 5 किलोमीटर के भीतर अवस्थित पंचायतों मे,

(ग) नगर परिषद् क्षेत्र से 3 किलोमीटर के भीतर अवस्थित पंचायतों में,

(घ) ऐसे ग्राम जहां हाट बाजार स्थापित हों।

(3) उप–नियम (1) के प्रयोजन के लिए व्यावसायिक भूमियों तथा भवनों में मैरिज गार्डन, रिसोर्ट्स, पेट्रोल पंप, वेयर हाउस, मॉल्स, शोरूम, एकल दुकानें, दुकानों के काम्प्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मनोरंजन पार्क, निजी शिक्षण संस्थाऐं, सर्विस सेंटर्स, होम स्टे, मोबाईल टॉवर आदि सम्मिलित है।

(4) निःशक्तजन, विधवा, निराश्रित, जो अपने स्वयं के भवन में स्वयं के लिए व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करते हैं, उन्हें उप–नियम (1) के अधीन विहित कर से छूट प्रदान की जा सकेगी। उनकी संपत्ति पर केवल आवासीय दर से संपत्ति कर उद्ग्रहीत किया जा सकेगा।

(5) व्यावसायिक गतिविधियों के लिए महिला स्वसहायता समूहों द्वारा उपयोग किये जा रहे भवनों तथा भूमियों को भी उपरोक्त दरों में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जा सकेगी।";

2. प्रथम अनूसूची के स्थान पर , निम्नलिखित अनूसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:–

"अनूसूची–एक
(नियम 5 एवं 5–क देखिए)

अनुक्रमांक	पूंजी मूल्य	कर की दर	
		न्यूनतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)
	भाग–क आवासीय भूमि तथा भवन पर कर की दर		
1.	50000 रू. से अधिक किंतु 100000 रू. से अनधिक पूंजी मूल्य वाले आवासीय भवनों पर	पूंजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक 100/– रू. पर 20 पैसे	पूंजी या उसके भाग मूल्य के प्रत्येक 100/– रू. पर 30 पैसे
2.	100000 रू. से अधिक पूंजी मूल्य के आवासीय भवनों पर	पूंजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक 500/– रू. पर 1.00 रूपया	पूंजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक 500/– रू. पर 1.50 रू.

	भाग–ख व्यवसायिक भूमि तथा भवन पर कर की दर		
1.	25000 रू. से अधिक किंतु 50000 रू. से अनधिक पूंजी मूल्य वाले व्यावसायिक भूमियों, भवनों, तथा दुकानों पर	पूंजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक 500/– रू. पर 1. 00 रूपया	पूंजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक 500/– रू. पर 1. 00 रू.
2.	50000 रू. से अधिक पूंजी मूल्य वाले व्यावसायिक भूमियों, भवनों, तथा दुकानों पर	पूंजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक 500/–रू. पर 2 रूपया	पूंजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक 500/– रू. पर 3. 00 रू. ।"।

Bhopal, the 12th October 2022

NOTICE

No. R-897893/2022/22/P-2 The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Gram Sabha obligatory Taxes (condition and Exceptions) Rules, 2001 which the State Government Proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with sub-section (1) of section 77-A of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and Notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received at the Office of Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period specified above shall be considered by the State Government.

Draft of Amendment

In the said rules,-

1. after rule 5, the following rule shall be added, namely:-

"5-A. Tax on Commercial land and building,-

(1) The Gram Panchayat may impose tax on the properties constructed for the commercial purpose and properties being utilized as commercial within its territories, at the rates prescribed in part –B of the First Schedule.

(2) The rates prescribed under Part (b) of the First Schedule shall be applicable to commercial properties located in the following areas-

(a) within 10 km in the Panchayats from the Municipal Corporation;

(b) within 5 km in the Panchayats from the Municipalities' area;

(c) within 3 km in the Panchayatsp from the Municipal Council area; and

(d) in Villages where haat markets are established.

(3) Commercial lands and buildings for the purpose of sub-rule (1) include marriage gardens, resorts, petrol pumps, warehouses, malls, showrooms, single shops, complexes of shops, Hotels, Restaurants, Dhabas, Amusement parks, private Educational institutions, service centers, home stays, mobile towers etc.

(4) Persons with disabilities, widows, deserters who carry on business activities for themselves in their own buildings may be exempted from the tax prescribed under sub-rule (1). Property tax may be levied on their property only at the residential rate.

(5) 50% rebate in the above rates may also be given to the buildings and lands being used by women self-help groups for commercial activities.";

2. for the first schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE – I

(See rule 5 and 5-A)

S.N.	**Capital Value**	**Rate of Tax**	
		Minimum	**Maximum**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Part -A Rate of Tax on Residential land and building			
1.	On residential land and building of capital value exceeding Rs. 50,000 but not exceeding Rs. 1,00,000	20 Paise per Rs. 100/- of the capital Value or fraction thereof	30 Paise per Rs. 100/- of the capital Value or fraction thereof
2.	On residential land and building of capital value exceeding Rs. 1,00,000	Rs. 1.00 per Rs. 500/- or fraction thereof	Rs. 1.50 per Rs. 500/- or fraction thereof
Part -B Rate of Tax on Commercial land and building			
1.	On Commercial land, building and shops of capital value exceeding Rs. 25,000 but not exceeding Rs. 50,000	Rs. 1.00 per Rs. 500/- of capital Value or fraction thereof	Rs. 1.00 per Rs. 500/- of capital Value or fraction thereof
2.	On Commercial land, building and shops of capital value exceeding Rs. 50,000	Rs. 2.00 per Rs. 500/- of capital Value or fraction thereof	Rs. 3.00 per Rs. 500/- of capital Value or fraction thereof

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार सिंह, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022